(ग) नवम्बर और दिसम्बर, 1980 के महीनों के दौरान 405298 व्यक्ति बिना टिकट या अनुपयुक्त टिकटों पर यात्रा करते पाये गये थे ।

सम्मान सूचक कार्ड पास

2354. **श्री जगपाल सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं के नाम तथा पते क्या हैं जिन्हें मार्च, 1980 से फरवरी, 1981 की अवधि के दौरान सम्मान-सूचक पास जारी किये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पास ऐसे व्यक्तियों को भी जारी किए गए हैं जो निर्धारित मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत नहीं आते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय-कार्य, विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) एक सूची सभा पटल पर रखी गई है । [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या** —2021/81]

(ख) मानार्थ कार्ड पास रेल मंत्री के व्यक्तिगत अनुमोदन से जारी किए जाते हैं।

(ग) मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है ।

दिल्ली परिवहन निगम को ठेके पर जाने वाली बसों के भाड़े में वृद्धि

2355. **श्री जगपाल सिंह:** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम ने ठेके पर दी जाने वाली अपनी बसों और स्कूलों को किराए पर दी गयी बसों का भाड़ा बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो दरों में कितनी वृद्धि की गयी है; और

(ग) इस वृद्धि करने के क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी, हां । विशेष किराये पर दी गई और स्कूलों के लिए दी गई बसों की दरों में 1-1-81 से संशोधन कर दिया गया है ।

(ख) संशोधन से पहले और संशोधन के बाद की दरें इस प्रकार हैं:—

किराये की विशेष दरें	1-1-1981 से पहले की दरें	1-1-1981 से लागू संशोधित दरें
1	2	3
	रुपये	रुपये
1. प्रति किलोमीटर प्रभार	2.60	3.50
2. प्रति घंटा बस खड़ी करने का प्रभार . . .	20.00	20.00
3. एक बुकिंग कराने के लिए न्यूनतम प्रभार . . .	60.00	80.00
4. रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बस खड़ी करने का प्रभार	15.00	15.00